on the freedom of faith, freedom of practice and profess one's own religion, and making an entry to the Common Civil Code ...(Interruptions)... You are fabricating ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Elamaram Kareem, please conclude. You have already taken more time.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I am just concluding. I just want to remind the Treasury Benches one thing. One defeat or one victory in one election is not the end of the history. May 23rd is not the last calendar day of Indian history. With this, I conclude. Thank you.

RESIGNATION BY MEMBER

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that hon. Chairman has received a letter dated 30th July, 2019 from Dr. Sanjay Sinh, Member, representing the State of Assam, resigning his seat in the Rajya Sabha. Mr. Chairman has accepted the resignation with effect from the 30th July, 2019.

GOVERNMENT BILLS (Contd.)

Statutory Resolution disapproving the Muslim Women (Protection of Rights On Marriage) Second Ordinance, 2019

The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, please. ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Deputy Chairman, Sir, this is an important discussion ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Jha to speak, please. आप बोलिए।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: कृपया सदन में शांति बनाए रखें। ...(व्यवधान)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, how can I speak if everybody is conversing with each other?

श्री उपसभापति: आपकी बात रिकॉर्ड पर जा रही है। आप बोलिए। ...(व्यवधान)... आप बोलना शुरू कीजिए। ...(व्यवधान)...

Bills

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is House! This is such an important Bill. ...(Interruptions)... Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me an opportunity. शुक्रिया, आप सबका। सर, मैं सदन में ...(व्यवधान)...

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, Mr. Chairman has agreed to extend time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, he has not informed like that. Please sit down. ...(Interruptions)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Let the House be in order, please.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rangarajan, I have not allowed you. ...(*Interruptions*)... Please don't interrupt like this as you are all senior Members.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मेरे वक्त पर नज़र रखिएगा, आजकल वैसे भी अचानक कोई ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अभी आपका वक्त शुरू नहीं हुआ है। आप बोलिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: उपसभापित महोदय, मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा विरोध बिल के कुछ प्रावधानों से हैं। मैंने 2014 में एक किताब पढ़ी थी, माननीय मंत्री जी, उस किताब का नाम Dog Whistle Politics था। आपके इरादे और इशारे, इस पूरे बिल के मसौदे को मैं देखूँ, तो Dog Whistle Politics का textbook example है। कैसे कोडिंग होती है, कैसे लोगों को डिकोडिंग करने के लिए कहा जाता है। सर,

"फ़लसफ़ी को बहस के अंदर ख़ुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है, सिरा मिलता नहीं।"

में जानता हूँ। सर, मेरा मानना है, अब मेरी आपित्तयां शुरू होती हैं। मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, जिसका आपने स्टेटमेंट में भी ज़िक्र किया है, जब 3/2 का कोई जजमेंट आता है, तो उसके टू को भी पढ़ना जरूरी होता है और श्री को भी पढ़ना जरूरी होता है। बहरहाल, मेरा मानना है कि जब यह विवेकहीन करार दिया गया, तो हम इसमें विवेक डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारी कोशिशं हमें किस दिशा में ले जा रही हैं?

[उपसभाध्यक्ष, (श्री भुवनेश्वर कालिता) पीठासीन हुए]

सर, यह नागरिक अनुबंध है और नागरिक अनुबंध में, अगर हम क्रिमिनल कम्पोनेंट को तलाश लें और मिलाने की कोशिश करेंगे. तो यह पीडा देगा। सर, रिश्तों को सहेजा

73

जाता है। हम सब उस दौर से गुज़रे हैं, जब हमने अपने रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखा। माननीय मंत्री महोदय, अगर reconciliation की गुंजाइश नहीं रखेंगे, तो इन्सानी रिश्तों का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, आपके लिए अच्छे शब्द नहीं लिखे जाएंगे, पहली चीज़।

दूसरी चीज़, में मेंटिनेंस के बारे में कहना चाहता हूँ। हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं। मेंटिनेंस को लेकर क्या समझ है? मेरा एक सीधा तर्क कहता है कि आपने पुरुष को जेल में भेज दिया, तो मेंटिनेंस को लेकर, उसके कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होगा?

श्री रिव शंकर प्रसाद: मनोज जी, आपके शब्द मेरे लिए अच्छे हैं न?

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, हैं। मैंने किस संदर्भ में कहा था, इसको समझ रहे हैं न, सर। मैंने कहा कि इन्सानी रिश्तों की गर्माहट का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो हो सकता है, उसमें आपके लिए ठंडे शब्द हों, गर्म शब्द न हों। सर, मेरी दरख्वास्त है कि मेरा टाइम दो मिनट डिस्टर्ब हुआ था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have not said anything.

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, मैं चाहुंगा कि मेंटिनेंस के क्लॉज पर आप एक बार पुनर्विचार करें। इसमें कोई हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए, वैसे भी कहा गया कि जब दिल और दिमाग लगातार आपसे सम्वाद की कोशिश करता है, तो उसमें दिमाग की सुनिए, लेकिन दिल की करिए। सर, दिल यह कह रहा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाइए pre-legislative scrutiny. सर, कमाल की बात है। इसमें सज़ा का प्रावधान देखिए। मैंने देखा कि दंगा करिए - दो साल की सज़ा, negligence or rash driving करिए-दो साल की सज़ा और bribery के लिए शायद एक ही साल की सज़ा है। महोदय, इसमें तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से आप आर्टिकल 14 की आत्मा के साथ हिंसक छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि equality before law and equal protection before law. यह छेड़छाड़ क्यों हो रही है? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो यहां एक नगमा छेड़ते हैं। अभी श्री मुख्तार अब्बास नक़वी जी चले गए। यदि वे यहां होते, तो मैं उन्हें बताता। वे कह रहे थे कि लम्हों ने खता की, जो लम्हों की खता करवा कर गए थे इधर से, आजकल वो उधर ही बैठते हैं। हम सब इस बात को जान गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इतना ध्यान रहे कि इस तरह के लेजिस्लेशन में सबसे पहले यह आवश्यकता होती है कि आप आखिर चाहते क्या हैं? क्या मुस्लिममैन को डेमोनाइज करना है, क्योंकि आप यहां कुछ कहते हैं। टेलिविजन चैनलों पर आजकल शाम को विपक्षी दलों ने जाना बन्द कर दिया है। शाम को उन चैनलों पर त्रिपुंडधारी बैठते हैं या लम्बी दाढ़ी और टोपी वाले बैठते हैं और वे मिलकर के तय करते हैं कि देश और समाज में लैंगिक समता का स्वरूप क्या होगा। यह नतीजा होता है, यहां से निकली हुई चीजों का।

[प्रो. मनोज कुमार झा]

महोदय, मैं आखिर में एक और चीज कहना चाहूंगा। आपने कुछ आंकड़े गिनाए, आपके आंकड़ों को सलाम। मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं। माननीय मंत्री जी, वर्ष 2014 से वर्ष 2006 तक - क्योंिक वर्ष 2006 के बाद से तो आपने आंकड़ों पर पाबन्दी लगा दी है- उक्त अविध में 36,500 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन मैंने सरकार में कोई ऐसा तेवर नहीं देखा कि कोई ऐसा बिल लाया जाए, जिसमें किसानों की आत्महत्या की एकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। चूंिक वह आपको वोट नहीं दिला रहा है, इसलिए आप वैसा बिल नहीं लाए। सर, मैं प्रतिदिन संसद में आता हूं, तो माइक लेकर एक आदमी आता है और कहता है कि आज झारखंड में मॉब लिंचिंग हो गई, आज उत्तराखंड में, आज राजस्थान में। सर, मॉब लिंचिंग में सैकड़ों जानें गई हैं। क्या उनकी मां नहीं है, क्या उनकी बहनें नहीं हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए? इसलिए जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप dog-whistle politics कब तक करेंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे आखिरी टिप्पणी करने दीजिए। ...(व्यवधान)... सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... न तलाक लिया न लेने की मंशा है और न देने की मंशा है। हम में से अधिकांश लोग तो ऐसे हैं, जो उससे दूर ही हैं, कम से कम सार्वजनिक तौर पर, बाकी तो पीछे-पीछे जो होता हो ...(व्यवधान)...

सर, मैं आखिरी टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं Montesquieu को क्वोट कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, उन्हें क्वोट कर रहा हूं, अपनी जुबान से उन्हें ला रहा हूं। वे कहते हैं कि - "there is no crueller tyranny than that which is perpetuated under the sheid of law and in the name of justice." Please remember my words कि मैं छोटा हूं, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि हठधर्मिता त्यागिए, बिल को इधर-उधर करके पास मत कराइए। आप यहां अपनी मेजॉरिटी आ जाने दीजिए, मैनेज्ड मेजॉरिटी से बिल पास मत कराइए।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, on behalf of the DMK Party, I oppose this Bill. Sir, this Bill is a prelude to the path of reaching one of the goals of this Government to bring in a Uniform Civil Code. It is against the spirit of the Constitution. The Preamble of the Constitution very clearly says, 'We the people of India, solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic." So the spirit of secularism is now in question. Sir, this Bill says it is for the protection of Muslim women's rights or marriage. But it is not so. Only the title says so, but the contents do not say so. It says that it is for the protection of the Muslim women's rights, but it is to put the Muslim men behind the bars. This is one of the hidden agenda

3.00 р.м.

and we have to sadly say that once a particular section was targeted and now a group in the section is being targeted. Sir, this sense of scare should not come into the minds of the people anywhere. The Muslims feel that they are very safe and secured in this country because of the secular nature. They say that it is for the Muslim women's rights. It is not so. As everyone stated, the Supreme Court in August, 2017 set aside the *Triple Talaq* saying it is null and void, it is not in vogue now, and when you are bringing in a Bill, you say, I don't have time, but I have to explain –'either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever if it is pronounced."

But, actually, it cannot be done like that. It has to be pronounced once in a month. And, husband has to wait for wife's *Iddat* to pronounce the second Talaq. They have all those conditions. I don't want to go into those things as I don't have time.

But, the next point is about Clause 4 of the Bill. This Clause is contentious. Everyone here is disputing with this. Why should it be criminalized? The marriage in Muslim is a civil contract and hence Triple Talaq or divorce is also civil in nature. So, why should it be criminalized and why should husband put behind the bars? Sir, let me ask another question. The Bill says that the husband could be released on bail. My question is: When the pronouncement itself is null and void, he still remains as husband. When he comes out on bail, where will he go? Will he come back to his wife? Will they live together? Then, what is the purpose of this Bill? When you say that it is void and illegal, he remains to be husband. Then, why should he be punished? If he refuses to be husband, he should be punished. He is put behind the bars. When he comes out on bail, where will he live? You kindly tell me.

Sir, I put a very straight question. You say that you are for the rights of women. And, everyone asked why you have not brought the Women's Reservation Bill. I will ask you: Kindly tell me, very frankly, when I had brought a Private Member's Resolution in the last Session of this House for the welfare of widows in this country, why did you vote against it? Sir, I wish to place it on record that the ruling party voted against my resolution. They summoned all its Members and they defeated the resolution. If you are really intending to help women of the nation, it should not be discriminated between Muslims and Hindus. And, it was supported by all. But, it was defeated deliberately by you. The ruling party summoned all its Members and defeated it. So, they have a dual approach. It is not purely that they are for the rights of women. Sir, when they say that they are for the rights of Muslim women, they are against

[Shri Tiruchi Siva]

the Muslim men. This Bill should be taken back. Sir, what I suggest is that Clause 4 must be deleted. Or, if you want to justify this, you refer the Bill to a Select Committee where we will call the stakeholders and everything will be decided. Only then this Bill will serve the purpose. Otherwise, as we said, we cannot accept this in this form. Thank you.

SHRI SWAPAN DASGUPTA (Nominated): Sir, depending on which way the House decides, it will either be a turning point today in the history of our democracy or it will be a day where history will refuse to turn. Sir, I say this, because if you look at the Constituent Assembly, it empowered Governments undertake particular measures. The first one is: It decided to allow Governments to be pro-active in giving people economic empowerment and social empowerment. Hence, we have an affirmative action in various spheres. But, there is also another sphere and it is under Article 44 which, among other things, deals with the Uniform Civil Code. It means, the Governments were encouraged to undertake a policy of social reform. And, social reform, we have seen, was carried out in a major way in the 1950s. Various Hindu Code Bills were passed -some with opposition and some unanimously. The Special Marriage Act was passed. But, Sir, it is interesting that the Muslim Personal Laws are governed by the law which was passed in 1937 and another one is the Dissolution of Muslim Marriage Act in 1939. Since then, there has been no occasion. There have been changes in values. There have been changes in social conditions. But, no attempt has been made to even touch this! This, to my mind, is completely inexplicable. But, perhaps, it tells us that underlying this belief in secularism is also a notion of differentiated citizenship which says that one citizen is more equal than the other. And, I would say that one of the most important things today is, for the first time, an attempt has been made, however tentative, to address questions of Muslim social reform. It is an important first step. It is a very, very important first step because here this was a subject which was to be left untouched by all Governments because they feared the political vote bank, they feared political recrimination. So, I compliment you. Of course, this is only a half measure; it is a very small measure because the main body of the Muslim Personal Law (Shariyat) Application Act of 1937 has a lot of inequalities which have to be addressed, but that comes for a later day. But, at least, a beginning has been made. I compliment the Government for it.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): वाइस-चेयरमैन सर, आज सिर्फ इस सदन के लिए नहीं, बिल्क में मानता हूँ कि जब इस सदन में यह बिल पास होगा, तो यह पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। अभी जुलाई महीना है, फिर अगस्त महीना शुरू होगा, वह हमारी आजादी का महीना है, लेकिन असल में जो इस देश की आधी आबादी है, उसको आजादी मिलेगी, जब यह बिल पास होगा। ट्रिपल तलाक की गुलामी में जो केंद्र हैं, ऐसी 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं हैं, जो हमारी माँ-बहनें हैं, इससे वे खुल कर साँस ले सकेंगी।

Government

सर, मैं हमारे सभी यहाँ-वहाँ के लोग, हमारे भाइयों, हमारे साथियों को सुन रहा था। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर हम कानून से देश चलाने की बात करते हैं, तो secularism कैसे खतरे में आ सकता है! देश संविधान से चलेगा, देश में एक ही कानून होना चाहिए, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और कोई हो। अगर हमारी मुस्लिम महिलाओं को किसी कानून से तकलीफ है, जो कानून संविधान में नहीं लिखा है, जिस कानून को संविधान की कोई मान्यता नहीं है, सालों-साल हमारी ये महिलाएँ उस पर्सनल लॉ की चक्की में पिस रही हैं, अगर हमारी सरकार यह कानून खत्म करने की बात करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि secularism खतरे में है, बिल्क इससे secularism मजबूत हुआ है। न हिन्दुओं को, न मुसलमानों को अलग-अलग न्याय, बिल्क सबको एक न्याय है। जब लोक सभा में यह बिल पास हुआ और उसे राज्य सभा में आने तक जो 4-5 दिन का समय लगा, उन 4-5 दिनों में सो से भी ज्यादा महिलाओं को तलाक दिया गया है। 7-8 दिन पुराना एक सूरत का केस है, मैं पढ़ रहा था। एक मुस्लिम माँ अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई, क्योंकि बेटी बीमार थी, वह अपने ...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): इस देश में बेटियाँ ज्यादातर बीमार ही रहती हैं।

श्री संजय राउत: जया जी, ठीक है, यह बीमारी अलग है। तो वह पित को कह रही थी कि बेटी बीमार है, उसको दवा की जरूरत है, उसे अस्पताल लेकर जाइए, लेकिन पति ने बेटी की तरफ नहीं देखा और बाहर काम पर चला गया। माँ का हृदय है, वह अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई। जब वह पित शाम को घर आया और उसको अपनी पत्नी नहीं दिखी, तो गुस्से में उसने पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक, तलाक, तलाक - पूरे मोहल्ले के सामने तलाक दिया। उस महिला का क्या कसूर था? वह तो अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई। यह जिम्मेदारी उसके बाप की थी, वह जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था और उस पति ने उसको तलाक दिया। अगर हम ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारा फर्ज है, अगर उसके लिए कानून बनता है, तो मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ। पहली बार ऐसी मजबूत सरकार आई है, जो ऐसा कानून बनाने जा रही है। ...(**समय** की घंटी)... देखिए, तलाक के कारण क्या हैं? तलाक के ज्यादातर कारण हैं - खाने में नमक नहीं है, तो पत्नी को तलाक दे दिया; पत्नी बीमार है, तो तलाक दे दिया या पत्नी भूखे बच्चों के लिए राशन लाने के लिए पैसा माँग रही है, तो तलाक दे दिया। ऐसे बहुत से कारण हैं, जिन्हें मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। अगर ऐसे कारणों से पति अपनी पत्नी को छोड़ता है, बच्चों को छोड़ता है, तो मुझे लगता है कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, उससे हमारी ऐसी हजारों-लाखों माँ-बहनों को ताकत मिलेगी। एक तारिक फतेह हैं, जो इस्लाम के बड़े स्कॉलर हैं, जो सुधारवादी हैं, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, "हमें अल्लाह का इस्लाम चाहिए, हमें मुल्लाओं का इस्लाम नहीं चाहिए"।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री संजय राउत: यह सरकार इस देश में मुल्लाओं का कानून खत्म करके, संविधान का कानून बनाना चाहती है और मैं यह भी मानता हूँ कि समान नागरिक कानून की तरफ जाने के लिए यह पहला कदम है, पहला स्टेप है। इसके बाद आप देखिएगा कि 370 भी जाएगा, 35ए भी जाएगा और इस देश में सबके लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून आएगा।

अंत में, एक बार फिर में इस बिल का समर्थन करता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वह सदन के सामने एक मजबूत कानून लेकर आई है।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I, on behalf of my party, YSR Congress Party, and my Party President, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy, stand to oppose this Bill and have decided to vote against this Bill. The Bill defines 'talaq' as talaq-e-biddat or any other similar form of talaq pronounced by a Muslim man which results in instant and irrevocable divorce. It has got six salient features. I will not take much time. First of all, it is a cognizable offence and three years' imprisonment is prescribed in the Bill. Secondly, the Magistrate may grant the bail if he is satisfied that there is a reasonable ground for granting the bail. Thirdly, the offence may be compounded and the terms and conditions of the compounding will be determined by the Magistrate. Fourthly, the wife is entitled to seek subsistence allowance. Why only subsistence allowance? That is my question. The Muslim woman against whom such talaq has been declared is entitled to seek custody of her minor children. These are all the salient features. I oppose this Bill on six counts. One, when divorce is declared as invalid and unlawful and there is no divorce even after saying talaq three times, —the Act is non-existent —for a non-existent Act, why is the punishment? What is the logic behind this? The Bill wrongly punishes for a nonexistent Act. The Bill is also very stringent as it makes talaq a cognisable and nonbailable offence. The harsh punishment of three years' imprisonment is against the doctrine of proportionality of jurisprudence.

The third point on which I oppose this Bill is this. Sending husband to prison for a period of three years is virtually shutting the doors for any possibility of reconciliation. This is the third count.

The fourth count on which I oppose the Bill is: how will the husband pay for the maintenance of wife when the husband is put behind the bars for a period of three years? In many poor families, husband is the sole earner; therefore, putting him in jail will bring financial crisis in the family. It will not solve the problem. THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I am concluding. Muslim marriages are a civil contract and the Bill criminalises a civil contract. In principle, there should not be a 'criminal remedy' to civil contracts.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. Your time is over.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: It is over, Sir. The next point on which I oppose this Bill is this. There is no need of fresh criminal provision because Section 498-A of the IPC already exists and the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, is also there; therefore, there is no necessity for this Bill.

Lastly, Section 5 of the Bill proposes subsistence allowance for the Muslim women. Why only subsistence allowance, why not beyond that?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Triple *talaq* is a social evil and criminalizing it will not solve the problem. Therefore, I request the hon. Minister to kindly reconsider it. Therefore, we are opposing it, and we will be voting against this Bill. Thank you very much.

(श्री गुलाम नबी आज़ाद) माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बहुत सारे वक्ताओं ने इस बिल पर चर्चा की, जो मेरे हिसाब से बिल्कूल misnomer है। बिल एक है, लेकिन इसके पीछे राज कोई दूसरा है। बिल है "the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage)", लेकिन मकसद है - destruction of Muslim families. वह इसका असली मकसद है। माननीय मंत्री जी ने अपने opening remarks में बताया कि कुछ जो आपत्तियाँ हैं और आपत्तियाँ थीं, उनको हमने हटाया है। एक-डेढ़ साल पहले में समझ गया था कि ये मुस्लिम महिलाओं के नाम पर, मुसलमान.. न रहे बाँस, न बजे बांसूरी। हम lynching करते हैं या कोई lynching करता है, तो सरकार की बड़ी बदनामी होती है, कई पार्टियों की बदनामी होती है। तो सबसे बेहतर है कि इस घर को इसी घर के चिराग से आग लगाओ। घर भी जल जायेगा और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। जब दो समुदायों के बीच में लड़ाई होती है, तो एक समुदाय वाला दूसरे समुदाय के घर को, मोहल्ले को अगर आग लगाये, तो बड़ा केस बनता है, लेकिन अगर बिजली का short-circuit हो जाए और मोहल्ले का मोहल्ला जल जाये, शहर का शहर जल जाये, तो कोई केस नहीं बनता है। इसलिए इस खानदान को अगर खत्म करना है, तो घर से ही खत्म करो, ऐसा कानून बनाओ। यह असली मकसद था। माननीय लॉ मंत्री जी, यह मैं तब समझ गया था। आप और स्वर्गीय अनन्त कुमार जी तब पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर थे, भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे, वे भले आदमी [श्री गुलाम नबी आज़ाद]

थे, जब इस बिल को यहाँ लाने की आपने कोशिश की थी और कुछ आपत्तियाँ मैंने जतायी थीं, वे आपत्तियाँ आपने हटायी नहीं हैं, cosmetic surgery की है। जो बीमारी है, वह वहीं की वहीं रखी, face में cosmetic surgery की। मैंने क्या बताया था, जब आप हमारे कमरे में आये थे, एक-डेढ़ घंटे चर्चा हुई? मैंने यही बताया था, जो कि सदन के सभी सदस्यों ने कहा कि इस्लाम में शादी-ब्याह एक civil contract है। आप इस civil contract को क्रिमिनल शक्ल दे रहे हैं। मैंने दूसरी बात यह बतायी थी कि आप इसको cognizable offence बना रहे हैं। अब warrant के बगैर ही पुलिस जाकर, किसी को पकड़ कर अन्दर डाल सकती है। तीसरी बात मैंने 3 साल की punishment की बतायी थी। 3 साल की punishment के साथ-साथ दो चीज़ें और लगा दी हैं कि subsistence allowance भी देना है तथा बच्चों और बीवी का भी ख्याल रखना है। मैंने उस वक्त बताया था कि मान लीजिए कि आप सजा भी देते हैं, तो क्या आपकी सरकार इन महिलाओं को, इन so-called widows को.. मैं उस पर वापस आऊँगा, अभी वह widow नहीं है और उसका तलाक भी नहीं हुआ है। मैं उस पर बाद में आऊँगा। क्या तब तक सरकार इस महिला को सरकार की तरफ से कोई पैसा देगी, जब तक आप उसको जेल की सजा देते हैं, उसके बच्चों को पढ़ायेगी? आपने कहा कि एक नये पैसे की मदद भी नहीं करेंगे।

आप एक नए पैसे की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन उसके पति को जेल में डालने को बहुत उत्सुक हैं। ऐसा कानून मैंने कभी नहीं देखा। दो मिसालें आपने दीं, में कहंगा कि दूसरे सदन में और यहां भी आप ये मिसालें दोबारा मत दीजिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। आपने कहा कि दूसरी इस्लामिक कन्ट्रीज़ में ऐसा कानून है, तो क्या अपने देश में हाथ काटने का कानून भी हम लाएंगे, गरदन काटने का कानून भी लाएंगे, कोड़े लगाने का कानून भी लाएंगे, ...(व्यवधान)... ISI भी यहां लाएंगे? ...(व्यवधान)... हमारा मुल्क किसी मुस्लिम मुल्क का मोहताज़ नहीं है, किसी दूसरे मुस्लिम देश के कहने पर नहीं चलता। ...(व्यवधान)... यहां के मुसलमानों को अपने देश पर, भारत देश पर गर्व है। हजारों सालों से हम यहां इकटठे रहते आए हैं। वे यहीं पैदा हुए, यहीं जन्म लिया। हम किसी मुस्लिम देश की नकल नहीं करते. न उनके वहाबिज्म की नकल करते हैं - न अफगानिस्तान की. न सीरिया की और न ISI की। न किसी सोच - तालिबान - की हम नकल करते हैं। दुनिया के बड़े देशों में मुसलमानों की यहां सबसे ज्यादा आबादी है। हम अपनी सोच रखते हैं, secular सोच रखते हैं, socialist सोच रखते हैं, democratic सोच रखते हैं। मिल-जुलकर सभी समुदायों के साथ बैठकर रहना, खाना, पीना, जीना, मरना सीखते हैं। इसलिए यहां के मुसलमानों को आप किसी दूसरे मुल्क के मुसलमानों के साथ compare मत करिए क्योंकि उनमें जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, वे कहीं हमारे देश के मुसलमानों को न लग जाएं।

दूसरी बात, आप कहते हैं कि कोर्ट ने ऐसा कहा, कोर्ट को भी आप गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने criminal law के बारे में कुछ नहीं कहा। Supreme Court ने minority

81

judgment की बात की। क्या मैं माननीय Law Minister से पूछ सकता हूं कि 1947 से लेकर आज तक जितने minority judgments आए हैं, क्या आप उन्हें लागू करने वाले हैं? लॉ मिनिस्टर साहब, आप कहते हैं कि कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन 5 साल से पूरे देश में लिचिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाइए, लेकिन आपने नहीं बनाया। जहां आपको suit करता है, वहां आप Supreme Court का सहारा लेते हैं और जहां आपको suit नहीं करता है, वहां Supreme Court की बात आप नहीं सुनते। इसलिए Supreme Court को आप सोच-समझकर क्वोट कीजिए। अगर Supreme Court की बात माननी है तो कल लिंचिंग पर भी कानून लाइए, तो मैं मानूंगा कि आप Supreme Court की suggestion, guidance या हुक्म को मानते हैं। Selectively हर चीज़ को लिमिट करने की कोशिश मत किरए।

तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं, आज मैं कोई लम्बा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ points की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप सज़ा किस चीज़ की देने जा रहे हैं ? मैं साइंस का student रहा हूं, लॉ का student नहीं रहा, लेकिन एक साधारण civilian होने के नाते, माननीय लॉ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि तीन बार तलाक कहना - लिखित रूप में, ज़बानी, Whatsapp के द्वारा, sms के ज़िरए, टेलीफोन पर - इसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। वह लॉ अब नहीं है। मैं आपको इस वक्त कोई गाली दूं, में कहूं कि मैं आपको जान से मार रहा हूं, माफ कीजिए, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता और करूंगा भी नहीं, आपको यकीन दिलाता हूं, लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं आपको गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा - क्या आप मुझे फांसी की सजा दे सकते हैं ? नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने act किया ही नहीं। मैंने जुबानी सिर्फ गुस्से में कह दिया कि मैंने आपको गाली दी, मां-बहन की गाली दी, आपको गुस्से में कह दिया - यह triple talaq वैसा ही कानून है, जैसा मैं अभी बता रहा हूं। ...(व्यवधान)... बिल्कुल ऐसा ही है। ...(व्यवधान)... आप जवाब दीजिएगा। ...(व्यवधान)...

†قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): مانئے وائس چؤرمی صاحب، بہت سارے وکتاؤں نے اس بل پر چرچا کی، جو میں ے حساب سے بالکل misnomer سارے وکتاؤں نے اس بل پر چرچا کی، جو میں ے حساب سے بالکل the Muslim" ہے۔ بل ایک ہے، لیکن اس کے بہتھے راز کو تھ دوسرا ہے۔ بل ہے destruction و Women (Protection of Rights on Marriage), of Muslim families. وہ اس کا اصلی مقصد ہے۔ مائئے منتری جی نے اپن اوپننگ رعمارکس می بتای کہ کچھہ جو آپنگلی اور آپنگلی تھی، ان کو ہم نے بٹای ہے۔ ایک ڈی ھہ سال پہلے می سمجھہ گی تھا کہ ی مسلم میلاؤں کے نام پر، مسلمان۔ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ ہم لنچنگ کرتے می یا کو چی لنچنگ کرتا ہے، تو

[†]Transliteration in Urdu Script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

سرکار کی بڑی بدنامی ہوتی ہے، کھی پارٹی کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو سب سے بہتر ہے کہ اس گھر کو اس گھر کے چراغ سے آگ لگاؤ۔ گھر بھی جل جائے گا اور کسری کو آبیتی بھی نہی ہوگی۔ جب دو سمودائے کے بیج می لڑائ ہوتی ہے، تو ایک سمودائے والا دوسرے سمودائے کے گھر کو، محلے کو اگر آگ لگائے، تو بڑا کس بنتا ہے، لیکن اگر بجلی کا شارٹ سرکٹ ہو جائے اور محلے کا محلہ جل جائے، شہر کا شہر جل جائے، تو کوئ کیس نہی بنتا ہے ہے۔ اس لئے اس خاندان کو اگر ختم کرنا ہے، تو گھر سے می ختم کرو، ایسا قانون بناؤ۔ ع اصلی مقصد تھا۔ مانّئے لاء منتری جی، مع می تب سمجھہ گطیتھا۔ آب اور آنجہاری اننت کمار جی تب بارلهنٹری افریس منسٹر تھے، بھگوان ان کی آتما کو شاندی دے، وہ بھلے آدمی تھے، جب اس بل کو عال لانے کی آپ نے کوشش کی تھی اور کچھہ آیدی س می نے جتائ تهی، وه آین آینر بٹائ نہی ہر، کوسم کے سرجری کی ہر۔ جو بھاری ہر، وہ وہی کی وہی رکھی، فیس می کوسم ایک سرجری کی، می کی بتای تھا، جب آپ ہمارے کمرے می آئے تھے، ایک ڈی ھہ گھنٹے چرچہ ہوئی؟ می نے جی بتاعی تھا، جو کہ سدن کے سبھی سدس سے سے کہا کہ اسلام می شادی بطع ایک سول کانٹر کے ہے۔ آپ اس سول کانٹر کے کو کر کھنل شکل دے رہے ہی۔ می نے دوسری بات ع بتاع تھی کہ آپ اس کو cognizable offence بنا رہے ہی۔ اب وارنٹ کے بغی می بولوس جاکر ، کس کو یکڑ کر اندر ڈال سکتی ہے۔ تھیری بات می نے بین سال کی سزا بتائ تھی۔ بین سال کی سزا کے ساتھہ ساتھہ دو چینی اور لگا دی می کہ subsistence allowance بھی دینا ہے، بچوں اور بھی کا بھی خوال رکھنا ہے۔ میں نے اس وقت بتای تھا کہ مان لعجئے کہ آپ سزا بھی دی میں،

تو کی آپ کی سرکار ان ممیلاؤں کو، ان so-called widows کو۔ می اس پر واپس آؤنگا، ابھی وہ widow نمیں ہے، اور اس کا طلاق بھی نمیں ہوا ہے۔ می اس پر بعد می آؤنگا۔ کی تب تک سرکار اس ممیلا کو سرکار کی طرف سے کوئی بیسہ دے گئ، جب تک آپ اس کو جی کی سزا دی ہے دی، اس کے بچوں کو پڑھائے گئ؟ آپ نے کہا کہ نئے بیسے کی مدد بھی نمیں کری گے۔

آب نئے بیسے کی مدد کرنے کے لئے نظر نہی میں ایکن ان کے بدی کو جی می ڈالنے کو بہت اُنسک می۔ ایسا قانون می نے کبھی نمی دیکھا۔ دو مثالی آپ نے دی، می کہوں گا کہ دوسرے سدن می اور عیاں بھی آپ مے مثالی دوبارہ مت دیجئے، نہیں تو یکڑے جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ دوسری اسلامک کنٹرین می ایسا قانون ہے، تو کی اپنے دیش می ہاتھہ کاٹنے کا قانون بھی ہم لائ کے۔۔ گردن کاٹنے کا قانون بھی لاعق گے، کوڑے لگانے کا قانون بھی لاعق گے ...(مداخلت)...آئهاوس آئها بهی عال لائل گر؟(مداخلت)... بمارا ملک کس مسلم ملک کا محتاج نہی ہے، کسی دوسرے مسلم دیش کے کہنے پر نہی چلتا ...(مداخات)... عباں کے مسلمانوں کو اپنے دیش پر، بھارت دیش پر فخر ہے۔ ہزاروں سالوں سے ہم عیاں اکٹھے رہتے آئے میں۔ وہ عوی بھا ہوئے، عوی جنم لط ہم کس مسلم دیش کی نقل نمی کرتے، نہ ان کے وہابزم کی نقل کرتے می - نہ افغانستان کی، نہ سری علی کی اور نہ آئی۔ ایس۔ آئی کی۔ نہ کسری سوچ – طالبان – کی ہم نقل کرتے میں۔ دریل کے بڑے دیثوں می مسلمانوں کی عبال سب سے زیادہ آبادی ہے۔ ہم ایری سوچ رکھتے می، سرکولر سوچ رکھتے می، سوشلسٹ سوچ رکھتے ہی، ڈیموکر ٹےک سوچ رکھتے ہی۔ مل جل کر سبھی سموداؤں کے ساتھہ بیٹھہ کر ربنا، کھانا، بیفا، جیفا، مرنا سرکھھتے میں۔ اس لئے عیاں کے مسلمانوں کو آپ کس [श्री गुलाम नबी आज़ाद]

دوسرے ملک کے مسلمانوں کے ساتھہ کمپیئر مت کرئے کی ں کہ ان می جو خام کاں دی میں میں میں میں میں میں کمزور کا میں فی فی خام کا میں میں کمزور کا میں فی خاط کا میں میں وہ کہی ہمارے دی مسلمانوں کو نہ لگ جائے۔

دوسری بات، آپ کہتے میں کہ کورٹ نے ایسا کہا، کورٹ کو بھی آپ غلط کہہ رہے میں۔ سپری کورٹ نے کریمنل لاء کے بارے بھی کچھہ نمیں کہا۔ سپری کورٹ نے مائنارٹی ججم بنٹ کی بات کی۔ کیا میں مائئے لاء منسٹر سے پوچھہ سکتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک جتنے مائنارٹی ججم بنٹ آئے میں، کیا آپ انمی لاگو کرنے والے میں؟ لاء منسٹر صاحب، آپ کہتے میں کہ کورٹ نے ایسا کہا، لیکن پانچ سال سے پورے دیش میں لنچنگ ہو رمی ہے، سپری کورٹ نے کہا کہ قانون بنائیمی، لیکن آپ نے نمی بنائی جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے، وہاں آپ سپری کورٹ کی بات آپ نمی سنتے۔ اس لئے سپری کورٹ کو آپ سوچ سمجھہ کر کی ٹ کورٹ کی بات آپ نمی سنتے۔ اس لئے سپری کورٹ کو آپ سوچ سمجھہ کر کی ٹ کی کورٹ کی بات آپ نمی سنتے۔ اس لئے سپری کورٹ کو آپ سوچ سمجھہ کر کی ٹ کی بات مانزی ہے تو کل لنچنگ پر بھی قانون لایکٹی، تو میں مانوں گا کہ آپ سپری کورٹ کی سجیٹینس، گائڈینس یا حکم کو مانتے میں۔ Selectively ہر چی کو لمٹ کرنے کی کوشش مت کرئیے۔

 کے ذریعے، سطّی فون پر – اسے سپری کورٹ نے ختم کیا، وہ لاء اب نمی ہے۔ می آپ کو اس وقت کوئ گالی دوں، می کہوں می آپ کو جان سے مار رہا ہوں، معاف کیجئے، آپ میں ے بہت اچھے دوست می، می اصا کبھی سوچ نمی سکتا اور کروں گا بھی نمی، آپ کو عقین دلاتا ہوں، لیکن اگر می کہوں کہ می آپ کو گولی مار دوں گا، گولی مار دوں گا، کولی مار دوں گا، کولی مار دوں گا، کولی می نہیں۔ می نے زباری دے سکتے می ایکٹ کیا می نمیں۔ می نے زباری صرف غصے می کہہ دیا کہ می نے آپ کو گالی دی، ماں بہن کی گالی دی، آپ کو غصہ می کہہ دیا ۔ یہ ٹریل طلاق ویہا می قانون ہے، جیہا می ابھی بتا رہا ہوں ۔ (مداخلت)۔۔۔ بالکل ایہا می ہے ۔۔ (مداخلت)۔۔۔ بالکل ایہا می ہے ۔۔ (مداخلت)۔۔۔ بالکل ایہا می ہے ۔۔ (مداخلت)۔۔۔

श्री रिव शंकर प्रसाद: आप देश के इतने बड़े नेता हैं, आप क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)... मैं जवाब दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: लॉ मिनिस्टर साहब, मुझे आप पर भरोसा है। ...(व्यवधान)... ये बहुत सक्षम हैं। ये जवाब देने के लिए सक्षम हैं। ...(व्यवधान)... जिस तरह से इस देश में भाई-बहन में सेकड़ों लड़ाई-झगड़े होते हैं, वे आपस में कहते हैं कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, में तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तो क्या उसने काट दिए? वह कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तो आप सज़ा किस चीज की दे रहे हैं? वह है ही नहीं, तलाक ही नहीं हुआ। आप उसको सज़ा देते, चाहे तीन ही साल की सज़ा देते, कोई भी सज़ा देते, लेकिन ट्रिपल तलाक तो हुआ ही नहीं, वह तो लागू ही नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी, शिवा जी ने ठीक तरीके से बताया और मैं उनसे सहमत हूँ। मिस्टर शिवा ने यह बताया कि आपने तीन साल जेल में रखा, लेकिन तलाक तो हुआ नहीं, क्योंकि तलाक, according to the Supreme Court, null and void है। वह घर जाएगा, तो सज़ा किस चीज की मिली? माननीय लॉ मिनिस्टर, यह भी आप अपने, जो ज्यादा उत्सुक हैं इस कानून को बनाने के लिए, उन पर जरा अप्लाई कीजिए। आर्ट्स और साइंस में इतना ही फर्क है कि साइंस में पहले practical करते हैं। दवाई भी जब बनती है, तो उस दवाई का प्रयोग पहले चूहे, बंदर, आदि पर किया जाता है। आप यहां सीधे मुस्लिम विमेन पर यह मारने की दवाई..... मर जाए, तो वही, बच जाए, तो वही इस्तेमाल करेगी। आप में से जो इस कानून को बनाने के लिए उत्सुक है, उसको जरा अपनी पत्नी की शिकायत [श्री गुलाम नबी आज़ाद]

पर तीन साल जेल में डलवा दीजिए और उसके बाद में देखूंगा कि वह अपनी पत्नी के साथ किस शांति और प्यार से रहेगा। ज़रा यह बीजेपी में एक experiment करिए, उसके बाद में यहां इसको पास करवा दूंगा। में यहां कहूंगा कि इसको लागू कीजिए, लेकिन experiment वहां से आएगा। जो पति अपनी पत्नी की वजह से, जायज़ या नाजायज़, उसकी शिकायत से. उसकी अदालत. कचहरी में जाने की वजह से जेल में चला जाए. क्या उसके बाद वह पति और पत्नी शांति से रह सकते हैं? यह हमारी समझ में नहीं आता है। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, इस तरह का कानून आप ही बना सकते हैं, कोई इधर वाला ऐसे कानून के बारे में सोच नहीं सकता है। यह कानून पावर का नशा है। पावर जब आती है, तो फिर कुछ नजर नहीं आता, फिर जो चाहो, वह करो। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा कानून मत लाइए। यह राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है, politically motivated है। इससे इस देश के अल्पसंख्यक आपसी लडाई-झगडे में लगे रहेंगे, पति अपनी पत्नी के खिलाफ वकील करेगा और पत्नी अपने पति के खिलाफ वकील करेगी। उनके पास कहीं जमीन का टुकड़ा होगा, घर होगा, तो उसको बेच कर वे वकील आदि में खर्च करेंगे और इससे पहले कि उसकी जेल की मुददत खत्म होगी, तब तक उनका दिवालिया निकला होगा। बीवी भी सड़क पर होगी, बच्चे भी सड़क पर होंगे और जो जेल से निकल कर आएगा, वह या तो खुदकशी करेगा या डाकू बनेगा या चोर बनेगा या भीख मांगेगा। आपके ट्रिपल तलाक की मंशा यह है। The cat has come out of the bag, क्योंकि इसमें मुस्लिम विमेन के प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनके subsistence allowance का कोई प्रावधान नहीं है, उनके maintenance allowance का कोई प्रावधान नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आदमी को सिर्फ जेल में भरो और उम्र भर के लिए कचहरी का चक्कर लगाते जाओ, यह आपका ट्रिपल तलाक है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले कीजिए। सेलेक्ट कमिटी में इस पर चर्चा होगी। सेलेक्ट कमिटी देखेगी कि इसमें से कौन-सी चीज़ निकालनी है, कौन-सी रखनी है? हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी double speak है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, एक तरफ आप 70 साल से हर बार बोल रहे हैं कि एक कानून होना चाहिए, पर्सनल लॉ कहाँ से आ गया या मुसलमानों के लिए अलग से लॉ कैसे आया? इस तरह एक तरफ तो आप पर्सनल लॉ के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ सिर्फ muslim women के लिए खुद ही आप कानून बनाते हैं। ये बाकी women के लिए क्यों नहीं हैं? जो लाखों और women हैं, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर हैं, उनके बारे में कौन पूछेगा? हमारी majority community में भी, दूसरी communities में भी लाखों ऐसी हैं जिन्हें पति ने कई साल पहले छोड़ दिया है। उनको कोई नहीं पूछता है। उनके लिए कौन कानून बनाएगा? कानून सिर्फ, सशक्तिकरण सिर्फ muslim women का नहीं होना चाहिए, सशक्तिकरण, इंसाफ की जरूरत हिंदू बहनों-बेटियों को भी है, सशक्तिकरण की जरूरत Christian, पारसी और जैन बहनों को भी है, इसलिए अगर यह कानून है, तो यह partial है। यह unconstitutional कानून आप बना रहे हैं। इसे आप एक सेक्शन के लिए बना रहे हैं और जो दूसरी हमारी इस तरह की बहनें हैं, दूसरे धर्मों की हैं, यह उनके साथ नाइंसाफी है, तो आप ऐसा कानून

87

लाइए, जिससे पूरे देश की महिलाओं का सशक्तिकरण हो और एक मिसाल बने। किसी सेक्शन या रिलीजन को खत्म करने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। देश के लिए कानून बनना चाहिए। देश के लिए कानून बनना चाहिए। सबसे बड़ा काम जो आप उनके लिए कर सकते हैं, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट पंचायतों में, कॉरपोरेशंस में, लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन लाई थी, पहले 35 प्रतिशत, फिर उसके बाद 50 प्रतिशत और हमारे यूपीए के सब लोगों ने उसे सहयोग दिया था, उसी तरह से यदि आप महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं, तो एक सेक्शन को टारगेट मत करिए, आप पूरे देश में 33 या 50 परसेंट, मिनिमम 33 परसेंट रिज़र्वेशन लाइए। हमारी माँग 50 प्रतिशत रिज़र्वेशन की है। महिलाओं के लिए ऐसा रिज़र्वेशन लाइए और इस बिल को सेलेक्ट किमटी के हवाले भेजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

ا جناب غلام نبی آزاد: لاء منسٹر صاحب، مجھے آپ پر بھروسہ ہے ...(مداخلت)... على بہت سكشم مى۔ يھ جواب دينے كے لئے سكشم مى ...(مداخلت)... جس طرح سے اس ديش مى بهايئ بہن مى سيخكڑوں لڑائئ جھگڑے ہوتے مى، وہ آپس مى كہتے مى كہ مى تم كو گولى مار دوں گا، مى تمهارى گردن كاڭ دوں گا، تو كيا اس نے كاڭ دئے؟ وہ قانون نمى ہے۔ جب سپري كورٹ نے كہہ دياكہ ٹرپل طلاق ختم ہو گيا، تو آپ سزا كس چى كى دے رہے مى؛ وہ ہے مى نمى، طلاق مى نمى ہوا۔ گيا، تو آپ اس كو سزا دينے، چاہے دين مى سال كى سزا دينے، كوئئ بھى سزا دينے، ليكن أب اس كو سزا دينے، چاہے دين مى سال كى سزا دينے، كوئئ بھى سزا دينے، ليكن ٹرپل طلاق تو ہوا مى نمى، وہ تو لاگو مى نمى ہوا۔ مائئے منترى جى، شيءا جى نے ثين سال جي مى ركھا، ليكن طلاق تو ہوا نمى، كيوں كہ طلاق، ايكور ڈنگ ٹو نے دى سپري كورٹ، نل-اغل ووئڈ ہے۔ وہ گھر جائے گا، تو سزا كس چى كى ملى؟ نے مائئے لاء منسٹر، يى بھى آپ اپنے،جو زيادہ انسك مى اس قانون كو بنانے كے لئے، مائئے لاء منسٹر، يى بھى آپ اپنے،جو زيادہ انسك مى اس قانون كو بنانے كے لئے، ان پر خرا اپلائ كي كيجئے۔ آرٹس اور سائنس مى اتنا مى فرق ہے كہ سائنس مى پہلے ان پر كہا كل كرتے مى۔ دوائى بھى جب بندى ہے، تو اس دوائى كا استعمال پہلے پر كيا كل كرتے مى۔ دوائى بھى جب بندى ہے، تو اس دوائى كا استعمال پہلے چوہے، بندر وغى، پر كيا جاتا ہے۔ آپ يہاں سيدھے مسلم ويون پر يى مارنے كى چوہے، بندر وغى، پر كيا جاتا ہے۔ آپ يہاں سيدھے مسلم ويون پر يى مارنے كى چوہے، بندر وغى، پر كيا جاتا ہے۔ آپ يہاں سيدھے مسلم ويون پر يى مارنے كى

[†]Transliteration in Urdu Script.

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

دو اعی۔۔ مر جائے، تو وہی، بچ جائے، تو وہی استعمال کرے گی۔ آپ می سے جو اس قانون کو بنانے کے لئے اتسک می، اس کو ذرا ایری بتری کی شکاعت بر بعن سال جل می ڈلوا دیجئے اور اس کے بعد می دیکھوں گا کہ وہ اپری بتری کے ساتھہ کس شانتی اور بیل سے رہے گا۔ ذرا وہ اپنا بی جے بی۔ می ایک تجربہ کر وی اس كے بعد مي عباں اس كو باس كروا دونگا۔ مي عباں كبوں گا كہ اس كو لاگو کیجئے، لیکن تجربہ وہاں سے آئے گا۔ جو پتی اپری پتری کی وجہ سے، جائز یا ناجائز، اس کی شکائت سر، اس کی عدالت، کچبری می جانبر کی وجہ سر جیل می چلا جائے، کی اس کے بعد وہ بنی اور بتری شاندی سے رہ سکتے می ؟ یہ بماری سمجهم می نمی آتا ہے۔ مانئے لاء منسٹر صاحب، اس طرح کا قانون آپ می بنا سکتے می، کوی ادھر والا اصب قانون کے بار ے می سوج نمی سکتاہے۔ عو قانون پاور کا نشہ ہے۔ پاور جب آئی ہے، تو پھر کچھہ نظر نمی آتا، پھر جو چاہو، وہ کرو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسا قانون مت لای ہے۔ یہ راجری سے ہے۔ اس سے اس دیش کے اقلعت politically motivatedپوری طرح پری ت ہے، آیسری لڑائ جھگڑے میں لگے رہیں گے، بنتی ایری بتری کے خلاف وکی کرے گا اور بتری اپنے بدی کے خلاف وکی کرے گی۔ ان کے پاس کس زمین کا ٹکڑا ہوگا، گھر ہوگا، تو اس کو بہج کر وہ وکٹی وغیرہ میں خرچ کری گے اور اس سے پہلے کہ اس کی جیل کی مدّت ختم ہوگی، تب تک ان کا دی الی نکلا ہوگا۔ بیوی بھی سڑک یر بوگی، بچے بھی سڑک پر ہوں گے اور جو جیل سے نکل کر آئے گا، وہ عل تو خودکش و کرے گا عل ڈاکو بنے گا علی چور بنے گا علی بھی مانگے گا۔ آپ کے ، کی کہ اس The cat has come out of the bad,ٹرپل طلاق کی منشا کے ہے۔ می مسلم ویمن کے پروٹیکشن کے لئے کوئی پراودھان نہی ہے۔ ان کا کوئ پراودھان نہی ہے، ان کے sustenance allowance کا کوئ پراودھان نہی ہے، ان کے بچوں کی maintenance allowance ور عمر پڑھائی کے لئے کوئی پراودھان نہی ہے۔ آدمی کو صرف جیل میں بھرو اور عمر بھر کے لئے کوئی پراودھان نہی ہے۔ آدمی کو صرف جیل میں بھرو اور عمر بھر کے لئے کچہری کا چگر لگاتے جاؤ، سے آپ کا ٹرپل طلاق ہے۔ ہم اس کی سخت مخالفت کرتے میں۔ میں آپ سے نوین کرتا ہوں کہ اس بل کو سلیکٹ کم عرفی کے حوالے کیجئے۔

سلکٹ کم علی می اس پر چرچہ ہوگی۔ سلکٹ کم علی دی بھے گی کہ اس می کو وی اعتراض سے کون سی چین نکالری ہے، کون سی رکھری ہے؟ ہمی اس می کو وی اعتراض نہی ہے کہ ہماری جو بہری ہی۔ می مملاعی می، ان کا سشکئی کرن کرنا چاہیئے، نہی ہے کہ ہماری جو بہری می مملاعی میں، ان کا سشکئی کرن کرنا چاہیئے، نہی ستر سال سے ہر بار بول رہے می کہ ایک قانون ہونا چہائے، پرسنل لا کہاں سے آگی کی مسلمانوں کے لئے الگ سے لا کی ہے آئی اس طرح ایک طرف تو آپ پرسنل لا کہا مسلمانوں کے لئے الگ سے لا کی ہے آئی اس طرح ایک طرف تو آپ پرسنل لا کے خلاف میں اور دوسری طرف صرف مسلم خوائین کے لئے خود می آپ قانون بناتے می۔ ع باقی خوائین کے لئے کئوں نمی می اور خوائین می بہر پارٹی کے اندر، پارٹی کے بار نے می کون پوچھے گا؟ ہماری پارٹی کے اندر، پارٹی کے بارے می کون پوچھے گا؟ ہماری میجارٹی کم ی نٹی می بھی، دوسری کم ی نٹی می بھی لاکھوں اور خوائین کی امی بونی پیٹی نے کے سال پہلے چھوڑ دی ہے ان کو کو وی نہی ہوں بیٹی سے دوائین کا نہی ہونا قانون صرف، سشکئی کرن صرف مسلم خوائین کا نہی ہونا چاہئے، سشکئی کرن، انصاف کی ضرورت بندو بہنوں سیٹی کو بھی ہے، اس لئے اگر کی کرن کی ضرورت کرشچین، پارسی اور جین بہنوں کو بھی ہے، اس لئے اگر کی کرن کی ضرورت کرشچین، پارسی اور جین بہنوں کو بھی ہے، اس لئے اگر کی

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

قانون ہے تو ع پارشفل ہے۔ ع ان کانسٹی نٹیشنل قانون آپ بنا رہے ہی۔ اسے آپ ایک سیکشن کے لئے بنا رہے ہی اور جو دوسری ہماری اس طرح کی بہری ہی، دوسرے دھرموں کی می، ع ان کے ساتھ نا انصافی ہے، تو آپ ایسا قانون لاکھے، جس سے پورے دیش کی ممیلاؤں کا سشکتی کرن ہو اور ایک مثال بنے۔ کسی سیکشن کا رظھون کو ختم کرنے کے لئے قانون نبنا چاہئے۔ دیش کے لئے قانون بننا چاہئے۔ دیش کے لئے قانون بننا چاہئے۔ دیش کے لئے قانون بننا چاہئے۔ دیش کے لئے سب سے بڑا کام جو آپ ان کے لئے کرسکتے ہی، جس طرح سے کانگری گورنمنٹ پنچاکٹوں می، کارپوریشنس می، لوکل باڈی می ریزرویشن لاکئ تھی، پہلے 35 سے فیصد، پھر اس کے بعد 50 فیصد اور ہمارے عوبی اے کے سب لوگوں نے اسے فیصد، پھر اس کے بعد 50 فیصد اور ہمارے عوبی اے کے سب لوگوں نے اسے سیکھٹن کو ٹارگیٹ مت کریشن، آپ پورے دیش می 33 کارن چاہتے ہی، تو ایک سیکھٹن کو ٹارگیٹ مت کریشن، آپ پورے دیش می 33 کاری ویشن کی ہے۔ ممیلاؤں کے فیصد ریزرویشن لاکھئے۔ ہماری مانگ پچاس فیصد ریزرویشن کی ہے۔ ممیلاؤں کے طوالے کیچیئے۔ بہت نہی ایک ایسا ریزرویشن لاکھئے اور اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیچیئے۔ بہت لیے ایک ایک ایک ایک کی ہے۔ ممیلاؤں کے بہت دھینواد۔

सुश्री सरोज पाण्डेय (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में आज इस सदन में खड़ी हूँ। मुझे लगता है कि आज यह ऐतिहासिक दिन है, जिसका इंतजार हम सब लोगों ने किया है। ...(व्यवधान)...शायद आपके लिए यह जरूर वाह-वाह होगा, जहाँ पर आप बैठकर कह रहे हैं, आप लगातार उस तरफ बैठने के लिए केवल इसलिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि आपने इन 70 सालों में केवल और केवल वोट की राजनीति के तहत तुष्टिकरण किया है और लगातार उन महिलाओं की भावनाओं के साथ खेला है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ:-

"कत्ल केवल वो नहीं होता जो खंजर से किया जाए और जख्म केवल वो नहीं होते जो जिस्म के लहू को बहाए. कातिल वो भी होता है जो लफ़्ज़ों के तीर चलाए और जख्म वो भी होते हैं जो रूह का नासर बन जाए"।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो तीन शब्द एक हंस्ती-खेलती खवातीन को पल भर में एक जिंदा लाश में तब्दील कर दें, उनका इस्तेमाल करने वाला शख्स यकीनन सज़ा का हकदार है। मैं आज कानून मंत्री जी को और देश के प्रधान मंत्री को इस बात की बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और तमाम महिलाओं की ओर से उनको साधुवाद देती हूँ, कि उन्होंने यह बिल लाकर भारत देश में स्वाभिमानपूर्ण और समानता के एक नए युग की शुरुआत की है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वह दिन याद करिए, जब 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया।

शाह बानो सिहत आम मिहलाओं को विश्वास था कि इस मानवीय लड़ाई में देश की सरकार उन मिहलाओं के साथ खड़ी होगी, परन्तु इतिहास की त्रासदी किहए कि उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री, प्रगतिशील और रूढ़ियों के खिलाफ माने जाने वाले प्रधान मंत्री, राजीव गाँधी जी इस बिल के साथ में नहीं खड़े हुए। राजनैतिक लाभ के लिए उन्होंने मौलवियों के साथ में खड़े होकर उस फैसले को निरस्त किया। जो शाह बानो सुप्रीम कोर्ट से जीत गई, वह शाह बानो सरकार के सामने हार गई। जो जीत गई, वह हार गई। यह लड़ाई तब से चल रही है, आज तक चल रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब सदन में इस प्रकार का बिल आया है, तो मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर लोगों ने तलाक को मज़ाक के तौर पर प्रस्तुत किया है। क्या हम मज़ाक की वस्तुएँ हैं? क्या महिलाएँ मज़ाक की वस्तुएँ हैं? उन्होंने बार-बार कहा, वे इस विषय की गंभीरता पर नहीं गए। आप ज़रा उस महिला से पूछिए, जो तीन तलाक के बाद सड़क पर आ जाती है। आज उस महिला से पूछिए और उसकी भावनाओं को देखिए, जो "हलाला" के लिए तिल-तिल कर मरती है और वापस अपने पित के पास जाती है। यह तीन तलाक के बाद का "हलाला" है और आप उसका समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग उसका समर्थन करते हैं, वे सब महिला-विरोधी हैं और आपने इस सदन में महिला-विरोधी होने का प्रमाण दिया है।

मुझे बेहद अफसोस है। मेरे साथी, उन्होंने यहाँ पर, सदन में बैठकर कहा कि मैं तीन तलाक नहीं दूँगा और यहाँ पर बैठे लोग भी तीन तलाक नहीं देंगे। पीठ पीछे क्या होता है? अगर आप यह मज़ाक की बात इस सदन में कहते हैं, तो इससे आपकी गंभीरता तय हो जाती है कि तीन तलाक पर आप कितने गंभीर हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात सदन में कहना चाहती हूँ कि इस बिल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि इस्लाम में बहुत तरीके से तलाक दिए जा सकते हैं और केवल उसके एक पक्ष को, जो कि अमानवीय है, उसको इस बिल में कानून के दायरे में लाया गया है। जाहिर है कि इससे पुरुषों के तलाक देने का अधिकार खत्म नहीं होता है, बिल्क समुदाय विशेष की स्त्रियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसिलए इस विधेयक का नाम "मुस्लिम महिला विवाह अधिकार (संरक्षण) विधेयक" रखा गया है। जो बाकी नौ तरीके हैं, उनमें से एक तरीके पर, जो कि अमानवीय है, आपका जब मन आता है, आप तीन तलाक के द्वारा उस महिला को सड़क पर ला देते हैं और जब यहाँ इस विषय पर यह कहा जाता है कि उस पर तीन साल की सज़ा होगी, तो इतना हो-हल्ला ! अगर व्यक्ति कत्ल कर देता है, अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो क्या उसको सज़ा नहीं होगी? इस तीन तलाक के बाद जब एक

[सूश्री सरोज पाण्डेय]

हँसता-खेलता परिवार सड़क पर आ जाता है, तो क्या यह अपराध नहीं है? यह केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं है। हमने वर्ग विशेष के नाम पर बार-बार तुष्टिकरण की राजनीति करके उनको कई बरस पीछे धकेल दिया, वरना 70 साल के बाद भारत देश की इस संसद में कम से कम इस विषय की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। देश के प्रधान मंत्री जी ने यह शुरुआत की, तािक सब महिलाओं को समानता का अधिकार मिले। आज देश की करोड़ों-करोड़ महिलाएँ बहुत आस से देश के प्रधान मंत्री जी और कानून मंत्री जी के इस विषय को देख रही हैं।

यह आपका ज़मीर भी जानता है। आपने जो मज़ाक उड़ाया है, आपका ज़मीर आपको जरूर कोस रहा होगा, मैं इस बात को मानती हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहती हूँ कि कुरान ने निकाह को मीसाक़े ग़लीज़ मजबूत समझौता करार दिया है। जब आप निकाह में एक मजबूत समझौता करते हैं और उस मजबूत समझौतो के लिए, जिसको कि आप एक समझौता मानते हैं, तो उस निकाह को आप अकेले नहीं कर सकते। उसमें दो गवाह चाहिए, एक वकील चाहिए। जब उसमें दो गवाह और एक वकील की मौजूदगी बेहद जरूरी है, तो आप तीन तलाक केवल "व्हाट्सऐप" पर कैसे कर सकते हैं? आप घर के किसी कमरे में बैठकर तीन तलाक कैसे कर सकते हैं? जब कुरान मीसाक़ेज़ालीज़ यह कहता है कि यह एक मजबूत समझौता है, जिसमें दो गवाह चाहिए, एक वकील चाहिए, तो आखिर आप इस कृत्य को इस प्रकार से कैसे अंजाम दे सकते हैं?

इस पर बहुत चिंता व्यक्त की गई कि अगर जेल में चले जाएँगे, तो बच्चों का क्या होगा, तलाक के बाद क्या होगा, तलाक देने के बाद क्या होगा? अभी तक हज़ारों-हज़ार महिलाएँ, जो तीन तलाक के कारण प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, इस पर अभी तक किसी ने क्यों नहीं संज्ञान लिया?

महोदय, केवल तुष्टिकरण की राजनीति, केवल एक वर्ग विशेष की बात बार-बार इस सदन में आयी। यह बहुत आहत करने वाली बात है। हमने आपको अपने से अलग कभी नहीं माना, आप अपने आपको बार-बार अलग क्यों दिखाना चाहते हैं? हम चाहते हैं और देश के प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि सब लोग एक साथ चलें और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक मज़बूत कदम है, इसलिए मैंने जब अपनी बात की शुरुआत की तो कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और आज यह बिल पारित होगा, इस देश के इतिहास में यह हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा।

महोदय, तीन तलाक के बारे में बहुत सारे जो विषय हैं, उस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। मैं केवल यह कहना चाहती हूं... उन्होंने कहा कि हम घर के चिराग से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद ही खाक हो, उसको काहे को आग लगाएंगे? आप तो पहले ही अपने इन कृत्यों के कारण खाक हो चुके हैं। हमें आग लगाने की जरूरत नहीं है। न हम आपके चिराग से आपको आग लगाने की कोशिश

कर रहे हैं, न उस घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप खाक नहीं होते, तो आप उधर नहीं बैठते, अगर आप खाक नहीं होते, तो आप वहां पर अपने नेता को नहीं खोजते। आज आप खाक हो चुके हैं, इसलिए आप बार-बार Select Committee की बात करते हैं। जब आप विषयों पर बिना अध्ययन किए और बिना दूरगामी सोच के ये बातें कहते हैं, तो मुझे कभी-कभी बहुत अफ़सोस होता है।

महोदय, सज़ा की बात पर कहा गया कि एक महिला की ज़िन्दगी को बर्बाद करने के एवज़ में हम तीन साल की सज़ा का प्रावधान कर रहे हैं। माननीय महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि व्यक्ति के मन में जब डर होता है, तब वह व्यक्ति उस कृत्य को करने से पीछे हटता है, अगर जुर्माने का डर होता है, तब वह उससे पीछे हटता है। अगर वह डर नहीं होगा, तो ये तीन तलाक के विषय, जैसा कि अभी सदन में बहुत सारे लोगों ने बार-बार कहा कि सब्ज़ी बनानी पसन्द नहीं आयी, तो तीन तलाक हो गया, लेकिन एक मूल कारण और है, जिसको यहां किसी ने नहीं कहा। तीन तलाक के कारणों में केवल गुरसा ही नहीं होता है। तीन तलाक के कारणों में दूसरी शादी करना भी एक मूल कारण होता है। आप तीन तलाक दीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए। आप उस महिला के जीवन को बर्बाद कर देते हैं और दूसरी महिला के जीवन को बर्बाद करने के लिए लपकते हैं, बंधुओ, इसे किसी ने नहीं कहा। जब गलती का एहसास हो तो हर बार मरने के लिए आप केवल महिला को क्यों भेजते हैं? अगर गलती का एहसास है, तो हवाला किसका होगा? वह महिला दूसरे पुरुष के साथ रहने के लिए जाएगी, तिल-तिल कर मरेगी, और आप उसे हलाला के बाद स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, इस विषय पर यह सदन खामोश है। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे कानून मंत्री जी ने इस विषय को लाकर महिलाओं के स्वाभिमान को जाग्रत करने का प्रयास किया है। में उन्हें साधुवाद देती हूं। इसके साथ ही यह अपेक्षा करती हूं कि आप वोट की राजनीति मत कीजिए, तुष्टिकरण की राजनीति मत कीजिए, महिलाओं को वोट बैंक मत समझिए। हमारी संवेदनाओं से परिचित होइए। हमें एक मानवीय रूप में स्थान दीजिए। अगर आप हमें मानवीयता के तौर पर स्थान देंगे, तो निश्चित तौर पर आपको दुआ मिलेगी और यह दुआ आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगी। वरना घर के चिराग से हम आग नहीं लगाएंगे, आप तो वैसे ही खाक हो जाएंगे। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to strongly support the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019. Sir, in the year 2017, hon. Supreme Court has set aside the practice of talaq-e-biddat and hailed it to be void and unconstitutional. This archaic practice was recognised as arbitrary and discriminatory to women and against their dignity. Despite the judgement of the apex court, cases of *triple talaq* have continued to occur. The Supreme Court judgement only offered a redressal to Muslim women after triple talaq was pronounced but there was no deterrent effect, and, it is for that reason that an express law, giving

[Dr. Narendra Jadhav]

effect to the Supreme Court judgement, and, stating that the triple *talaq* is void and illegal, was imperatively needed. I therefore, whole-heartedly welcome this Bill.

Sir, this historic Bill sets a path for a progressive society wherein the prevailing archaic method of giving divorce does not have any place. The basic principle of 'right to be heard' is not available in *talaq-e-biddat*, which has had an everlasting adverse effect on the Muslim women.

Sir, while supporting the Bill, I would like to raise only one question. Sir, currently, the Bill, under clause 4, prescribes a punishment of imprisonment for any man who pronounces triple *talaq*, and, as per clause 5, it also compels him to pay maintenance. These provisions are seemingly contradictory to each other and can create hindrances in achieving the objective of the law, which is to protect the interests of the married Muslim women. At the same time...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. DR. NARENDRA JADHAV: Give me only thirty seconds. At the same time, let us not forget that this Bill has come up because the Supreme Court judgement could not have the necessary deterrent effect, and how can there be a deterrent effect unless there is a provision for stiff punishment? That is the dilemma.

I would urge the hon. Law Minister to explain as to how he is going to resolve this dilemma. With these remarks, I support this Bill whole-heartedly. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri T.K.S. Elangovan. You have one minute. ...(Interruptions)...

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, this is such an important Bill. ...(*Interruptions*)... How can a Member express his views in one minute? At least, three to four minutes should be given to every Member.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, please give me, at least, three minutes.

Sir, I welcome the order of the hon. Supreme Court with regard to triple *talaq* but I strongly oppose the Bill introduced today because it is faulty and the Government

has failed to understand that the Court has only made triple *talaq* as unlawful and not divorce *per se as* unlawful. The Government should have brought a Bill for an alternative form of divorce.

Sir, the Dissolution of Muslim Marriages Act was brought by the British Government when India and Pakistan were together. In 1947, Pakistan got separated. Even the Muslim countries were against this triple talaq. But what Pakistan did was that they amended this Act in 1961. Let me read the amendment. The amendment says, "The husband is duty bound to send written notice by registered post to the concerned Union Council or Government office in charge of issuance of divorce certificates." In the said notice, the husband must mention the address of his ex-wife, thereby enabling the Union Council or the Government office to issue notices to her by registered post, in pursuance of which, it shall constitute or refer the same to the Arbitration Council within 30 days of receipt of notice for the purpose of reconciliation and resettlement between husband and wife, if possible. ...(Time-bell rings)...

The purpose of introducing this legislation was to protect the women from instant and unrecorded divorce. So, when a Muslim country could amend this law, accepting that triple *talaq* itself was not enough, why can't you bring legislation like that? If you ban triple *talaq*, there won't be any divorce method left for the Muslims. Why should you shut the door? You have not considered this aspect. What is the alternative for divorce?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: So, Sir, in my view, sending this Bill to the Select Committee is itself a waste. The Bill is faulty, biased and prejudicial. My request to the Government is to consult the Muslim leaders, bring out a comprehensive Bill, which will save the Muslim women, which will save the Muslim men and the community and which will do good to the society. Thank you.

श्री नज़ीर अहमद लवाय (जम्मू-कश्मीर): वाइस चेयरमैन साहब, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं जम्मू-कश्मीर स्टेट को represent करता हूं और मैं इस बिल के विरोध में बोल रहा हूं क्योंकि यहां सब लोगों को पता चलना चाहिए कि जो इस्लाम है, यह भाईचारे का मज़हब है, यह दहशतगर्दी का मज़हब नहीं है, यह मसावात का मज़हब है। इस मसावात में जो पहली preference है, वह ladies को है, वह

Bills

[श्री नज़ीर अहमद लवाय]

मां को है, वह बेटी को है। लिहाज़ा इस बिल में जो लाया गया है कि एक husband को सज़ा दी जाए, हमारे पैगम्बर आखिर-उज़-ज़मां ने कहा कि सबसे अज़ीम जो दुनिया में है, वह हमारा निकाह है, जैसे सब मज़हबों में अपना-अपना सिस्टम है। हमारे religion में निकाह सबसे अज़ीम है और पैगम्बर आखिर-उज़-ज़मां, खुद अल्लाह-ताला इससे खुश होते हैं और सबसे बदतरीन चीज़ जो है, वह तलाक़ है। इसलिए मुझे खुशी है कि इस तलाक़-ए-बिद्दत पर कुछ लोग बोलते हैं। तलाक़ हमारे religion में बिद्दत है, इससे अल्लाह-ताला खुश नहीं होता है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं। मैंने अपनी बहनों से भी सुना, एमपी साहेबान से भी सुना, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस मुल्क में सभी लोगों को बगैर मज़हब-ओ-मिल्लत हमारी बेटी, हमारी मां की चिंता है, जो मैं सून रहा था, लेकिन एक आदमी को तीन साल के लिए Section 4 में बंद किया जाए, हमारे religion में lady की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बच्चों के लिए। जो भी कुछ है, जो जिम्मेदारी है, वह मर्द की है। अगर हमारा तलाक़ हो जाएगा, तो lady बच्चों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए जो ज़िम्मेदार है, वह husband है। जब आप husband को ही जेल में रख देंगे तो उन बच्चों के साथ क्या करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि जो आपने बिल बनाया है, इस बिल में लिखा है, 'to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq', अगर इसमें यह लिखा जाए, अगर इसमें यह हो कि 'to protect the rights of Indian women' तो एक message जाएगा, जैसे आज मुसलमानों को लगता है कि शायद हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, शायद हम मुस्लिमों को degrade किया जाता है। सर, जब हमारे पास लोगों के फोन आते हैं तो वे कहते हैं कि शायद मुस्लिम के लिए यह below dignity हो रहा है। क्योंकि जम्मू-कश्मीर में यह नहीं लगता है, मेरी स्टेट में यह न लगने के बाद भी सारे जम्मू-कश्मीर के लोग परेशान हैं कि शायद इसके पीछे कोई कारण है, अगर आज यह हो रहा है तो कल कुछ और होगा। लोगों में तज़-बज़ब है, इसीलिए जो majority एमपीज़ ने यहां demand की कि इस बिल को Select Committee भेज दिया जाए. क्योंकि निर्भया का केस हमारे सामने है. हमारी बहनों और बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए strict होना चाहिए। हमारे देश की जो बहनें और माँएं हैं, उनके साथ हर मज़हब में गलत हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम्स के साथ गलत नहीं हो रहा है, जम्मू-कश्मीर में यह है ही नहीं। तीन तलाक़ मैंने यहां सुना है, मैंने अपने खानदान में नहीं सुना, हमारे खानदान में, जब से मैं पैदा हुआ, उससे पहले, मेरे खानदान में एक भी तलाक़ नहीं हुआ, हमारी स्टेट में तलाक़ नहीं होता है। मुझे पता नहीं है, तलाक़, तलाक़, तलाक़ क्या है। अगर बाकी स्टेट्स में होता होगा, तो वे लोग जानते होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे वहां पर जब से यह migration हुआ, हज़ारों बहनें, जो दिल्ली में अकेली रहती हैं, सैकड़ों बहनें, जो जम्मू में शादी होने के बाद

97

भी विधवा की ज़िदगी जीती हैं, क्योंकि उस religion में दुबारा शादी नहीं करनी है, लेकिन वे उसके बाद भी तलाक़शुदा है। इसलिए मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि जो यह तलाक़ है, यह सब religion में तलाक़ है, इसको क्यों हम communalize कर रहे हैं, इसको क्यों हम खाली मुसलमानों के लिए बना रहे हैं? हमारी बेटी, जो देश की बेटी है - जैसे हमारी लेडी एमपीज़ मुस्लिम लेडीज़ के हक में बोल रही थीं, हम क्यों नहीं तलाक़ के बारे में सारी communities के लिए कहते? सबमें तलाक़ होता है। एमपीज़ बातें करते हैं. हमारे religion में सबसे महान, सबसे अज़ीम जो है, वह हमारी मां है। आपको यह करना चाहिए कि जो maintenance देनी है, वह मर्द को देनी है, अगर वह तलाक़ देगा। ...(समय की घंटी)... अगर उसके 6 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। उसी को जेल में डाला जाएगा। जब उसको जेल में डाला जाएगा तो उन बच्चों की कौन कफालत करेगा? हमारे मज़हब में ladies को कफालत करने की जरूरत नहीं है। हमारे religion में दूसरी चीज़ है। हमारी विल्दयत जो होती है, मजहब के हिसाब से, religion के हिसाब से वालिद होता है, father होता है, मां नहीं होती। मां चली जाएगी, तो 6 महीने के बाद वह शादी कर सकती है, लेकिन जो बच्चे हैं, वे किसके हैं? वे वालिद साहब के हैं। अगर उन वालिद साहब को आप जेल में डालेंगे तो उन बच्चों का क्या हाल होगा? उन बच्चों के लिए कोई provision रख दो। अगर उन बच्चों का provision नहीं रखना है तो फिर उन्हें भी जेल में डाल दो। लिहाज़ा संसद से मेरी गुज़ारिश है कि जो बिल है. उसमें इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए। आप इस्लामिक लॉ के बारे में कहते हैं. इस्लामिक लॉ उस वक्त के उलेमाओं ने बनाया। इस पार्लियामेंट में, देश के जो अजीम इंसान थे, उन्होंने उलेमाओं को दावत देकर, वह लॉ बनाया था। जैसे हिंदू लॉ है, जैसे क्रिश्चियन लॉ है...

أجناب نظی احمد لوائے (جموں وکشمی): وائس چھیمی صاحب، آپ نے مجھے اس بل پر بولنے کا موقع دی اس کے لیے شکری۔ می جموں وکشمی اسٹیٹ کو ری پری بیٹ کرتا ہوں اور می اس بل کی مخالفت می بول رہا ہوں کی کہ بیاں سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہئے کہ جو اسلام ہے، بی بھائی چارے کا مذہب ہے، بی دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، بی مساوات کا مذہب ہے۔ اس مساوات می جو پہلی پر فورنس ہے، وہ لیڈی کو ہے، وہ ماں کو ہے، وہ بیٹی کو ہے۔ لحاظہ اس بل می جو لای گئی ہے کہ ایک ہستی کو سزا دی

[†]Transliteration in Urdu Script

[श्री नज़ीर अहमद लवाय]

جائے، ہمارے بیضمبر آخر الزماں نے کہا کہ سب سے عظیم جو دریل می ہے، وہ ہمارا نکاح ہے، جسے سب مذہبوں می اینا اپنا سسٹم ہے۔ ہمارے رطعین می نکاح سب سے عظی ہے اور بیضمبر آخرالزماں، خود الله تعالی اس سے خوش ہوتے می اور سب سے بدترین چی جو ہے، وہ طلاق ہے۔ اس لی مجھے خوشی ہے کہ اس طلاق بدعت پر کچھ لوگ بولتے میں۔ طلاق ہمارے مذہب میں بدعت ہے، اس سے اللہ تعالی خوش نمی ہوتا ہے، ایکن اس کے لئے کچھ چیزی ضروری ہی۔ می نے ایزی بہنوں سے بھی سنا، ای بی صاحبان سے بھی سنا، مجھے اس بات کی خوش ہے کہ ہمارے اس ملک می سبھی لوگوں کو بغی مذہب و ملت ہماری بیٹی، ہماری ماں کی جنتا ہے، جو می سن رہا تھا، لعکن ایک آدمی کو نین سال کے لیے کلاز 4 میں بند کی جائے، ہمارے مذہب می لیڈی کی کو ع کے نہیں ہے، بچوں کے لوہے۔ جوبھی کچھ ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ مرد کی ہے۔ اگر ہمارا طلاق ہوجائے گا، تو اعلی بجوں کے ای ذمہ دار نہی ہے، اس کے لی ہے جو ذمہ دار ہے، وہ شوہر ہے۔ جب آپ شوہر کو دی جیل می رکھ دی گے تو ان بچوں کے ساتھ کی کری گے؟ اس لہے ہم چاہتے میں کہ جو آپ نے بل بنای ہے، اس بل 'to protect the rights of married Muslim women and to prohibit 'موس لکها ہے، . divorce by pronouncing talag اگر اس میں وہ لکھا جائے، اگر اس موں وہ ہو کہ 'to protect the rights of Indian women' تو ایک م تعربی جائے گا، جی اج مسلمانوں کو لگتا ہے کہ شائ ہمارے ساتھ کھلواڑ کئی جاتا ہے، شائ ہم مسلموں کو degrade کی جاتا ہے۔ سر، جب ہمارے یاس لوگوں کے فون آتے می تو وہ کہتے می کہ شای مسلم کے لیے یع below dignity ہورہا ہے۔ کی کہ جموں و کشمی می یع نہی لگنا ہے، میں اسٹیٹ میں وہ نہ لگنے کے بعد بھی سارے جموں و کشمی کے لوگ پر شان دی کہ شامی اس کے بہتے ہے کوئ وجہ ہے، اگر آج بی ہورہا ہے تو کل کچھ اور ہو گا۔ لو گوں میں تذ بذب ہے، اس لوہ ہے جو معجار بٹی ایج بین نے بیاں ڈیمانڈ کی کہ اس بل کو ساعکٹ کم علی بھی دی جائے، کی کہ نربھی کا کی ہمارے سامنے ہے، ہماری بہنوں اور بیٹوں کے ساتھ جو ان ائے ہورہا ہے، اس کے لہے سخت ہونا چاہئے۔ ہمارے دیش کی جو بہری اور مائی می، ان کے ساتھ ہر مذہب می غلط ہورہا ہے، صرف مسلمانوں کرساتھ غلط نہیں ہورہا ہر، جموں وکشمی می سے ہے می نہیں۔ نین طلاق می نے عال سنا ہے، می نے اپنے خاندان می نہی سنا، ہمارے خانان می، جب سے می بھا ہوا، اس سے پہلے، میں ے خاندان میں ایک بھی طلاق نہیں ہوا، ہماری استُق میں طلاق نہی ہوتا ہے۔ مجھے بتہ نہی ہے، طلاق، طلاق، طلاق کی ہے۔ اگر باقی استی می ہوتا ہوگا، تو وہ لوگ جانتے ہونگے، لیکن ہم کہتے ہی کہ ہمارے وہاں پر جب سے سے مائیگر شن ہوا، بزاروں بہری، جو دہلی می اکولی رہدی ہی، سکڑوں بہری، جو جموں وکشمی می شادی ہونے کے بعد بھی ودھوا کی زندگی گزار جینی ہی، کیوں کہ اس مذہب می دوبارہ شادی نہی کرری ہے، لیکن وہ اس کے بعد بھی طلاق شدہ دی۔ اس لی میری منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جوی طلاق ہے، ی سب مذاہب می طلاق ہے، اس کو کی ہم کمی نلاعل کررہے می، اس کو کوں ہم خالی مسلمانوں کے لیے بنارہے می ؟ ہماری بعثی، جو دیش کی بیشی ہے، جیسے ہماری لیڈی ای بین مسلم لیڈی کے حق میں بول رہی تھی، ہم کوں نہی طلاق کے بارے می ساری کمون ویٹی کے لیے کہتے؟ سب می طلاق ہوتا ہے۔ ای بین بانی کرتے می، ہمارے مذہب می سب سے مہان، سب سے عظی جو ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ آپ کو جھ کرنا چاہ عیسے کہ جو maintenance دی ہے، وہ مرد کو دی ہ ہے، اگر وہ طلاق دیگا۔ ...(وقت کی گھنٹی)... اگر اس کے چھ بچے ہونگے کا دس بچے ہوں گے، لوکن عال پر الٹا ہور یا ہے۔ اس کو جھ میں ڈالا جائے گا۔ جب اس کو جھ میں ڈالا جائے گا تو ان بچوں کی کون کفالت کر بھا؟ ہمارے مذہب میں خواتین کو کفالت کرنے کی ضرورت نہی ہے۔ ہمارے مذہب می دوسری چین ہے۔ ہماری ولدی جو ہوتی [श्री नज़ीर अहमद लवाय]

ہے، مذہب کے حساب سے، ر طبحن کے حساب سے والد ہوتا ہے، فادر ہوتا ہے، ماں نہیں ہوئی۔ ماں چلی جائے گی، تو چھ ممینے کے بعد وہ شادی کرسکتی ہے، لیکن جو بچے می، وہ کس کے میں؟ وہ والد صاحب کے میں۔ اگر ان والد صاحب کو آپ جی میں ڈالیں گے تو ان بچوں کا کی حال ہوگا؟ ان بچوں کے لیے کوئی پر ووئن رکھ دو۔ اگر ان بچوں کا پر ووئن نہیں رکھنا ہے تو پھر انہی بھی جی میں ڈال دو۔

لحاظہ سنسد سے میں گزارش ہے کہ جو بل ہے، اس می اسلامک سسٹم ہونا چاہئے۔ آپ اسلامک لا کے بارے می کہتے ہی، اسلامک لا اس وقت کے علماؤں نے بنائ اس پارلیمنٹ می، دیش کے جو عظیم انسان تھے، انہوں نے علماؤں کو دعوت دیکر، وہ لا بنائ تھا۔ جیسے بندو لا ہے، جیسے کرشچین لا ہے۔۔۔

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए, आपका समय हो चुका है।

श्री नज़ीर अहमद लवाय: उस लॉ के हिसाब से उन्होंने लॉ बनाया। यहां तोड़-मरोड़ कर चीज़ें पेश की जाती हैं। लिहाज़ा मेरी गुज़ारिश है, मेरी सारे हाउस से विनती है कि हमारे जो मुस्लिम मर्द हैं, उनको तख़्ता-ए-दार पर चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। कल दूसरे लोगों को भी इसी के बहाने चढ़ाया जाएगा और हमारी बेटी मुसीबत में पड़ जाएगी। लिहाज़ा मैं आपके माध्यम से गुज़ारिश करता हूं कि जो मैंने कहा यह नोट कर लिया जाए।

† جناب نظی احمد لوائے: اس لا کے حساب سے انہوں نے لا بنائ بھاں توڑ مروڑ کر چین عیں بھٹ کی جائی ہی۔ لحاظہ میں گزارش ہے، میں سارے ہاؤس سے وندی ہے کہ ہمارے جو مسلم مرد میں، ان کو تختہ دار پر چڑھانے کی کوشش مت کیج ہئے۔ کل دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بہانے چڑھائی جائے گا اور ہمارے بھٹی مصریحت میں پڑجائے گی۔ لحاظہ میں آپ کے مادھی سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا بی نوٹ کرلی جائے۔

کرلی جائے۔

(

[†]Transliteration in Urdu Script.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, the next speaker is Shri Abdul Wahab; not present. Then, Shri Majeed Memon.

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, my Party is unable to accept the proposed Bill for various clear reasons. I would just spell them out. The hon. Law Minister is here. As a student of law, we are aware that when the Supreme Court pronounces a judgment, it becomes law by itself under Article 141 of the Constitution of India. Pronouncements by the Supreme Court or judicial pronouncements are source of law. I am surprised as a student of law to find in this drafted Bill and the Statement of Objects and Reasons, -I would particularly draw attention of the hon. Law Minister to para 3 of the same —where it says, "In spite of the Supreme Court setting aside talaq-e-biddat, and the assurance of AIMPLB, there have been reports of divorce by way of talaq-e-biddat from different parts of the country. It is seen that setting aside talaq-e-biddat by the Supreme Court has not worked as any deterrent in bringing down the number of divorces by this practice among certain Muslims. It is, therefore, felt that there is a need for State action to give effect to the order of the Supreme Court." It is to give effect to the order of the Supreme Court. I may humbly ask the hon. Law Minister: For purposes of giving effect to a law made by the Supreme Court, do you have to enact another law? What you have to do is that you have to adequately promulgate the order of the Supreme Court, which you, unfortunately, did not do. It seems that the administration failed. It is a manifestation of the failure of the administration of the Union of India to promulgate a law already in place in respect of relationship of husband and wife in Muslim community. If you are unable to communicate or spread it to the people, you cannot make another law for that. If you keep on making laws like this, you will only have jungles of laws. There will be laws and laws but no justice. You could have also alternatively approached the Supreme Court. When you found that the order of the Supreme Court could not be implemented for certain reasons, you could have done that. You are a party in the petition. You could have elaborated and explained to the Supreme Court that if the people do not follow this law, what would happen! For that, you need not make a separate law.

Secondly, as has been spoken by so many Members before me, what is disturbing all of us, particularly, my leader and my Party, is this. How do you expect a Muslim husband or man to be sent to jail for three years for having committed no offence? What offence did he commit? He has only, in a fit of rage or anger, said by mouth, 'Talaq, talaq', talaq'. I would say that it is not an offence. Let us call it an act. For

[Shri Majeed Memon]

4.00 P.M.

an act on the part of the husband telling his wife *talaq*, *talaq*, *talaq*, what is the consequence? According to the judgment of the Supreme Court, the consequence is not there at all. It is inconsequential. It is ineffective. It does not result into anything. Both spouses remain where they stood even before the utterances; the marriage subsists; the matrimonial obligations remain intact. In that situation, you are asking the woman to look here and tempting her to get separate maintenance, custody of minor children, etc.

I would tell the hon. Law Minister, who himself happens to be a lawyer, that please understand there is a general provision under Section 125, Code of Criminal Procedure, for the grant of separate maintenance to a destitute wife. Now, in that, there are two preconditions. Both those preconditions would not be available to this particular woman. Number one is that she must live separately from her husband. Now, unless you chase her out of her matrimonial house, where the matrimony remains intact, divorce has not taken place. You are asking her, for the purposes of claiming maintenance, to leave the matrimonial house. The Magistrate will ask the first question when she goes to the Magistrate for the purpose of seeking separate maintenance. One of the essential preconditions for claim of separate maintenance is that you must live separately from your husband. ... (Time-Bell rings)... Sir, I will just take one or two minutes. Now, number two is that the moment the woman goes to the court —please see it practically what you are saying in law —for separate maintenance and the man is in prison, he is unable to earn. So, the ability to earn on the part of the husband is yet another precondition for grant of maintenance to woman. So, she will fail on both these counts. Your this kind of temptation that we will help you, see how sympathetic the Government is towards you, we would not pay from our pocket but we will see that the husband pays! Husband would not be able to pay because of Section 125. Her husband, through his lawyer, will go to the court and say: 'She is not living separately. She is living in my house. Number two, I am unable to earn because I am in prison.' Maintenance application summarily fails.

Same thing applies about custody of minor children. You are asking her: 'Leave matrimonial house. Go to your mother's house. Become a burden to her or you go to some orphanage or some other place.' Why are you wrecking her matrimonial house? She continues to be the wife. She will remain put there. Nobody can chase her out of the house. Yet you are provoking her to leave the House. ...(Interruptions)...

Message from [30 July, 2019] Lok Sabha 103

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Please conclude. ...(Interruptions)...

SHRI MAJEED MEMON: This is a conspiracy to break Muslim houses, send Muslim men to jail, destroy Muslim matrimony. This is not 'खाना आबादी', this is 'खाना बरबादी'। ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. ...(Interruptions)... Now, message from Lok Sabha, Secretary-General. ...(Interruptions)...

SHRI MAJEED MEMON: I would, therefore, earnestly request you to kindly have a. ...(*Interruptions*)... Why do you not send it to a Select Committee? In 2017, just after the Supreme Court judgement, you came with the same idea. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. ...(Interruptions)... Please take your seat. ...(Interruptions)...

SHRI MAJEED MEMON: We had said, 'Please send it to a Select Committee.' You said that it would take time. The Select Committee would have given the report in two weeks in 2017. This would have been a law then itself. You are only playing politics. This is no law, no justice, no women sympathy. This is pure politics. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. ...(Interruptions)...

SHRI MAJEED MEMON: So, I am afraid we are not going to fall into your net of political advantage that you want to derive. Therefore, we are constrained to oppose this Bill and we will see to it that this Bill is not passed. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Message from Lok Sabha, Secretary-General.

MESSAGES FROM LOK SABHA - Contd.

The Consumer Protection Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha: